(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली के लिए विधान सभा

1134. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली को एक राज्य का दर्जा दिये जाने और दिल्ली में एक विधान सभा स्थापित किये जाने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रही है! और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है । विधान सभा के प्रश्न पर समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा।

असम-समझौते का क्रियान्वयन

1135. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम-समझौते के क्रियान्वयन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और इसके क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) समझौते के क्रियान्वयन में सरकार को कौन-कौन सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री (चिन्ताणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) असम समझौते के कार्यान्वियन में पर्याप्त प्रगति हुई है नवीनतम स्थिति का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, [देखिये परिशिष्ट CXLIII, अनुबंध सं० 50]

Ex-gratia payment to November '84* riot vicctims

1136. SHRI JAGJIT SINGH AURORA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision regarding ex-gratia payment to the 1984 riot victims whose properties were not insured;

(b) what are the scales of payment; and

(c) by when the riot victims are likely to receive such payment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) to (c) The Government has already decided to pay ex-gratia amuunt for the loss |damage of the uninsured properties to the November. 1984 riot victims. The scales of payment and modalities are being worked out and are likely to be finalised very soon.

Rehabilitation of persons affected by November' 84 riots

1137. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of persons affected by November, 1984 riots in Delhi who have not yet been rehabilitated and provided adequate relief as on 30th June. 1987;

(b) what steps are being taken to rehabilitate them and also to provide adequate relief to them;

(c) what is the number of cases recommended by Members of Parliament for such relief as on 30th June, 1987; and

(d) what action has been taken on each of them?